GAP भाषा
A MULTILINGUAL JOURNAL OF RESEARCH
(ISSN – 2582-8770)
Globally peer-reviewed and open access journal.

NCFSE 2023 के अनुसार भाषा शिक्षा का अर्थ, सामान्य उद्देश्य और चुनौतियाँ

डॉ. अशोक परमार

सह. प्राध्यापक, शिक्षा संकाय (IASE),गूजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, भारत

सारांश

यह शोधपत्र राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा - विद्यालयी शिक्षा (NCFSE 2023) के अनुसार भाषा शिक्षा के महत्व, सामान्य उद्देश्य और चुनौतियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भाषा शिक्षा न केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम है बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक विकास का भी आधार है। शोधपत्र में भाषा शिक्षा की संकल्पना, बहुभाषिकता के महत्व, मातृभाषा के अधिगम की भूमिका, तथा विद्यालयी स्तर पर भाषा शिक्षा से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों–जैसे साक्षरता का निम्न स्तर, गुणवत्तायुक्त अधिगम सामग्री की कमी, शिक्षकों की पूर्वतैयारी की समस्या, अप्रभावी अध्यापन पद्धति और स्मृति-आधारित मूल्यांकन–का विश्लेषण किया गया है। अंततः यह शोधपत्र निष्कर्ष निकालता है कि बहुभाषी भारत के निर्माण और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने में भाषा शिक्षा की केंद्रीय भूमिका है।

Keywords: *भाषा शिक्षा, NCFSE 2023, बहुभाषिकता, मातृभाषा, शिक्षा नीति, चुनौतियाँ*

प्रस्तावना

प्रस्तुत शोधलेख में NCFSE 2023में भाषा से संबंधित भाषा शिक्षा की संकल्पना, भाषा शिक्षा के उद्देश्य और भाषा शिक्षा से संबंधित प्रवर्तमान चुनौतियाँ को उजागर किया है। NCFSE 2023 में इगिंत भाषा शिक्षा संबंधि उपर्युक्त बातें निम्नांकित रूप से स्पष्ट कर सकते है।

NCFSE 2023 के अनुसार भाषा शिक्षा की संकल्पना

NCFSE 2023 में भाषा शिक्षा के अध्याय में भाषा शिक्षा संबंधि विभिन्न पहलूंओं पर जोर दिया गया है। NCFSE 2023 में कहा गया है कि भाषा मानव के ज्ञानात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए केन्द्र बिन्दु है। अर्थात भाषा शिक्षा का संबंध मानव के ज्ञान प्राप्तिकी प्रक्रिया से संबंधित है। पुरानी संकल्पना के अनुसार मनुष्य को ज्ञान प्राप्तिके लिए या ज्ञान अर्जन करने क लिए भाषा का सहयोग अवश्य लेना पडता है। अर्थात NCFSE 2023 के अनुसार भाषा ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है।

NCFSE 2023 में इसी वाक्यांश में कहा गया है कि भाषा सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों के लिए केन्द्र बिन्दु है। अर्थात मनुष्य सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को अपने समाज के विभिन्न लोगों के साथ अगर सामजस्य और समाज में रहना हो या अन्य लोगों या अन्य संस्कृति से अवगत होना है तो उसको जिस संस्कृति का परिचय प्राप्त करना है, उस संस्कृति की भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात भाषा का मतलब केवल मातृभाषाका ज्ञान होना ही नहीं किन्तु अन्य भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है।

NCFSE 2023 में कहा गया है कि भाषाओं में प्राविण्य व्यक्तियों को समझने, विश्लेषण करने और अपने क्षेत्र, राष्ट्र तथा विश्व से जोड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात भाषा में प्रवीण व्यक्ति दूसरों को समझने में सक्षम होता है। भाषा व्यक्ति में संवेदनशीलता विकसित करने का माध्यम है। इस प्रकार भाषा शिक्षा संवेदना से संबद्ध है। भाषा व्यक्ति को विश्लेषण करने की क्षमता और राष्ट्र और अलग-अलग क्षेत्रों के मध्य सहसंबंध स्थापित करने की क्षमता रखती है। अर्थात NCFSE 2023 के अनुसार भाषा शिक्षा वैश्विक दृष्टि से सबको एक करने की क्षमता रखनेवाली होनी चाहिए।

NCFSE 2023 में कहा गया है कि भाषा प्रभावी संदेशा व्यवहार को सक्षम बनाये ऐसी होनी चाहिए, जो समाज और संस्कृतियों की रचना और विश्व के साथ सामाजस्य स्थापित करने की क्षमता विकसित करती है । मतलब यहाँ भाषा

https://www.gapbhasha.org/

शिक्षा का एक उद्देश्य प्रत्यायन को मजबूत बनाने पर जोर देता है। अर्थात भाषा शिक्षा ऐसी होनी चाहिए की सब लोग अपना प्रत्यायन अच्छी तरह कर सके। भाषा शिक्षा की ऐसी प्रत्यायन क्षमता से समाज और राष्ट्र को जोडने की क्षमता विकसित होती है।

NCFSE 2023 में कहा गया है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित करने के लिए और प्राप्त ज्ञान को अग्रेसर करने के लिए भाषा एक अनिवार्य उपकरण के रूप में कार्य करती है। अर्थात भाषा ज्ञान के जन्म से लेकर ज्ञान में वृद्धि के लिए अनिवार्य सहायक सामग्री का कार्य करती है। भाषा शिक्षा से संबंधित पहलूं शिक्षा के अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण और बुनियादी आधारशीला है। ऐसी बात NCFSE 2023 के अन्तर्गत व्यक्त हुई है। भाषा अधिगम की प्रक्रिया से व्यक्ति प्रभावक प्राविण्य प्राप्त करता है।

NCFSE 2023 में कहा गया है कि भाषा का अध्ययन NCFSE का महत्तवपूर्ण पहलूं है। NCFSE 2023 में इस बात को उजागर किया गया है कि जो व्यक्ति एक से अधिक भाषा से अवगत है उन्हें विस्तृत स्तर के लोगों के साथ संवाद एवं प्रत्यायन का मौका प्राप्त होता है। अर्थात NCFSE 2023 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक से अधिक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि एक से अधिक भाषा का ज्ञाता व्यक्ति की विस्तृत ज्ञानात्मक क्षमता का भी विकास होता है। भाषा का ज्ञाता व्यक्ति सांस्कृतिक जागृति और अभिव्यक्ति की क्षमता भी ज्यादा मात्रा में हस्तगत करता है। यहाँ भाषा शिक्षा का प्रत्यक्ष संबंध अर्थग्रहण क्षमता से है जो छात्रों में यह क्षमता विकसित हो यह लाजमी है।

NCFSE 2023 के अनुसार भाषा शिक्षा मतलब व्यक्ति को अपने बुनियाद का पता चले और अपने बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संवेदना जागृत हो और साथ-साथ अन्य संस्कृति की कदर करना भी है।

NCFSE 2023 के अनुसार एक से अधिक भाषा अधिगम करने से बालकों को बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्धि प्राप्त होती है। अतः NCFSE 2023 के अनुसार बालक के लिए मातृभाषा के आलावा अन्य भाषा अधिगम के लिए भी सिफारिश हुई है। NCFSE 2023 के अनुसार अगर बालक को अभिव्यक्ति के क्षेत्र में सक्षम बनाने के लिए, शब्द भंडोर, रूढि प्रयोग और एक से अधिक भाषा के साहित्य से सज्ज करने के लिए अधिक भाषा अधिगम पर जोर दिया गया है। अर्थात भाषा शिक्षा केवल एक भाषा तक ही सीमित न रहकर यह एक से अधिक भाषा के अधिगम तक विस्तृत हुई है। NCFSE 2023 में बहुभाषी भारत अधिक अच्छी तरह शिक्षित और राष्ट्रीय स्तर पर अधिक संकलित है ऐसा कहा गया है। अर्थात भारत को बहुभाषी समाज की ओर ले जाना अर्थात बहुभाषी बनाना है। NCFSE 2023 में भाषा शिक्षा के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि भारतीय भाषाएँ विश्व की सबसे अधिक समृद्ध भाषाएँ और वैज्ञानिक रूप से अभिव्यक्त हो सके ऐसी भाषाएँ है ऐसा कहा गया है। अतः भारतीय भाषा को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया है।

NCFSE 2023 में कहा गया गया है कि भारतीय भाषाओं में प्राचीन और आधुनिक साहित्य का विशाल हिस्सा है जो भारत की सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता की पहचान एवं उस पहचान को अधिक मजबूत करने का प्रयास हुआ है।

NCFSE 2023 में एसा कहा गया है कि बाल विकास और भाषा संपादन का विज्ञान स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा में अगर साक्षर बनते है तो उसकी अधिगम की प्रक्रिया बलवान बनती है। अर्थात यहाँ शिक्षा प्रक्रिया मातृभाषा में हो यह भाषा शिक्षा की तासीर बनती है। अर्थात शिक्षा का कार्य मातृभाषा में होना चाहिए ऐसा उपरोक्त वाक्यांश के द्वारा स्पष्ट होता है। इसी गद्यांश में यह भी स्पष्टता है कि छोटे बालक अपनी मातृभाषा में साक्षरता प्राप्त करते है तब बाद में वह मातृभाषा एक से अधिक भाषा अधिगम की प्रक्रिया में लाभप्रद होती है। साथ में मातृभाषा अगर शिक्षा का माध्यम है तो बालक को अन्य भाषा अधिगम के अन्तर्गत जो लाभ होता है वह अधिक होता है। अतः यहाँ मातृभाषा अधिगम पर अधिक बल दिया गया है। साथ-साथ मातृभाषा अधिगम अन्य भाषा अधिगम की प्रक्रिया पर कितना हकारात्मक प्रभाव डालती है उस विषय को उजागर करने का प्रयास किया है। यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि मातृभाषा अधिगम के कारण बहुभाषावाद को प्रोत्साहन प्राप्त होता है।

अतः यहाँ छात्र मातृभाषा में अधिगम करता है, तब अधिगम की प्रक्रिया सभी भाषा के अधिगम के वक्त बलवान होती है। परिणाम स्वरूप बालक केवल मातृभाषा ही नहीं किन्तु सभी भाषा अधिगम का अभिगम विकसित करता है और इस से उस में बहुभाषावाद पनपता है। और बहुभाषावाद यह सूचित करता है कि एक से अधिक भाषा अधिगम के कारण व्यक्तित्व विकास की मात्रा अधिक होती है। फलस्वरूप व्यक्तित्व विकास का प्रत्यक्ष फायदा समाज के लोगों के लिए भावनात्मक एवं ज्ञानात्मक पहलूं को निखारने में सहायक होता है। अतः जब हम स्थानीय से वैश्विक

https://www.gapbhasha.org/

दृष्टिकोण अपनाते हैं, तो स्थानीय लाभ राज्य स्तर पर और राज्य का लाभ राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त होता है। अंततः मातृभाषा की गंगोत्री राष्ट्रीय एकता में वृद्धि करने के लिए सहायक होती है।

भाषा शिक्षा के सामान्य उद्देश्य

भाषा के अधिगम से छात्र समाज में लिखित या बोलचाल के स्वरूप में जो समझ प्राप्त करते है, जो ज्ञान के कौशल्य प्राप्त करते है उसे बलवान बनाने का प्रयास करते है। भाषा छात्रों के विचार और संवेदनाए व्यक्त करने की क्षमता देती है। भाषा के कारण छात्र सर्जनात्मक रूप से और तर्कसंगत पद्धति से सोचने में सक्षम बनता है। भाषा के कारण छात्र अपनी चयन प्रक्रिया में सार्थक्ता ला सकता है। छात्र के विषयवस्तु चयन करने की प्रक्रिया में कार्यक्षमता में बढोत्तरी होती है।

NCFSE 2023 के अनुसार भाषा शिक्षा पारंगतता लोकशाही समाज के लिए सबसे लाजमी है। भाषा अधिगम के कारण व्यक्ति राजकीय, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सहभागी बनकर अपना योगदान देता है। NCFSE 2023 के अनुसार बहुभाषा अधिगम पर अधिक बल दिया गया है । बहुभाषा अधिगम की प्रक्रिया के कारण व्यक्ति अन्य संस्कृति की कदर और आदर करने के अभिगम को विकसित करता है। बहुभाषावाद व्यक्ति के ज्ञानात्मक पहलूं में वृद्धि करता है।

NCFSE 2023 के अनुसार विद्यालय में भाषा शिक्षा के उद्देश्य

छात्रों में वक्तृत्व क्षमता का विकास करना

विद्यालयी शिक्षा के लिए वक्तृत्व शक्ति और साक्षरता बुनियाद आवश्यक्ता है। NCFSE 2023 के अनुसार विद्यालय में वक्तृत्व शक्ति के विकास का अर्थ है, छात्रों के द्वारा बोली जानेवाली भाषा और अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण में प्रवाहिता लाना। साक्षरता का अर्थ यह है कि सभी छात्र भाषा में अस्खलित और समीक्षात्मक पठन लेखन और अर्थग्रहण क्षमता का विकास करने के साथ इन क्षमताओं को दर्शाना भी भाषा शिक्षा का उद्देश्य होता है। NCFSE 2023 में जैसे स्पष्टता की गई है की बोलचाल एवं मुद्रीत भाषा का उपयोग करने की क्षमता केवल शिक्षा के लिए ही नहीं किन्तु अन्य सभी क्षेत्रों के लिए भी आवश्यक है। साथ ही सभी अध्ययन क्षेत्रों के लिए बुनियादी आवश्यक्ता हैऐसा भी इंगित किया गया है।

प्रभावक प्रत्यायन कौशल्य का विकास करना

छात्रों को विवेचनात्मक पद्धति से सोचने के लिए, वास्तविक दुनिया की समस्याओं को पहचानने के लिए, समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए, लोगों के सामने तर्कसंगत दलील करने के लिए और समस्या का समाधान करने क लिए छात्रों की भाषा क्षमता का विकास करना चाहिए। विविध परिस्थितयों में अच्छी तरह से सोचने के लिए और बातचीत करने क लिए भाषा की क्षमता का प्रभावी और लोकशाही सामाजिक सांस्कृतिक सहभागिता महत्त्वपूर्ण है।

साहित्यिक और सर्जनात्मक क्षमता का विकास करना

विद्यालयों में भाषा शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में भाषा के साहित्यिक पहलूंओं की कद्र के लिए क्षमताओं का विकास करने का होना चाहिए।इस में लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति में सर्जनात्मक एवं कल्पनाशील कैसे बनना है इस के लिए प्रयोग करने के लिए भी रियायत होनी चाहिए। विभिन्न संस्कृति में उपलब्ध सौदर्यलक्षी एवं सर्जनात्मक अभिव्यक्ति को समझने के लिए भाषा एक वाहक के रूप में कार्य करती है।भाषा के सर्जनात्मक और सौदर्यलक्षी पहलूंओं की कदर करना सीखाने के लिए सर्जनात्मक गद्य, कविता वार्ताकथन, शब्दखेल, पहेली, चुटकुले, आदि आवश्यक रूप से अधिगम की प्रक्रिया में समाविष्ट करना चाहिए।

बहुभाषी क्षमता का विकास करना

NEP 2020 में निर्धारित किया गया है उस अनुसार विद्यालय में भाषा शिक्षा का उद्देश्य छात्रों को कम से कम तीन भाषा का अधिगम करना आवश्यक है। NEP 2020 के अनुसार विद्यालय के द्वारा छात्रों को कम से कम तीन भाषा में स्वतंत्र वक्ता, लेखक और वाचक बनाने के होना चाहिए। ये तीन भाषा को इस दस्तावेज में R1, R2 और R3 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।NCFSE 2023 में सूचित किया गया है कि विद्यार्थियों को 8 साल की आयु तक अर्थात कक्षा 3 तक R1 का परिचय हो ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। 11 साल की आयु तक अर्थात कक्षा 6 तक R2 अधिगम कर सके ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करवानी चाहिए और 14 साल तक और कक्षा 9 तक R3 अधिगम की प्रक्रिया का उद्देश्य

https://www.gapbhasha.org/

स्पष्ट किया है। विद्यालय के द्वारा R1 और R2 में सामाजिक विकास हेतु बातचीत करने के लिए और कक्षा में शैक्षिक उपयोग के लिए आवश्यक भाषाकीय पारंगतता जितनी क्षमता के विकास को सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही 15 साल की आयु तक अर्थात कक्षा 10 तक R3 में भी R1 और R2 जितनी क्षमता प्राप्त करें ऐसे प्रयास विद्यालयों के द्वारा होने चाहिए।

संस्कृती की कद्र और सहभागिता करना

भाषा अधिगम की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से संस्कृति से अवगत होने की प्रक्रिया है। अतः संस्कृति में ओतप्रोत होने के लिए और सहभागिता के लिए भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत में भाषा की विस्तृतता और उस भाषा एवं समाज की संस्कृति की परंपरा की संमृद्धि को देखते हुए छात्रों को भारत की समृद्ध भाषाकीय सांस्कृतिक परंपरा को समझने और उसकी कद्र करने के लिए आवश्यक मौके प्रदान करने चाहिए। छात्रों को भाषाओं की जानकारी देने के लिए उन्हें अधिक भाषा अधिगम से संबंधित ऐसी यायावरी प्रवृत्तियाँ करवानी चाहिए जिससे छात्र यात्राओं के दौरान एक से अधिक भाषा अधिगम कर सके। एसा करने से NEP 2020 के 22 वें अध्याय में सूचित भारतीय भाषाएँ एवं भारतीय संविधान की अष्टम सूचि में सूचित भाषाओं की संस्कृति और समृद्धि की कद्र करना छात्र सहज रूप से हस्तगत करेंगे। भारतीय भाषाओं के साहित्य के मोडेल छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करने चाहिए जिससे छात्र एक से अधिक भाषा अधिगम कर सके।

भाषा शिक्षा की चुनौतियाँ

1. साक्षरता का निम्न स्तर

NCFSE 2023 में व्यक्त किया गया है कि भारत में प्रवर्तमान में अध्ययन कटोकटी चल रही है। जिसमें वर्तमान में प्राथमिक विद्यालय में बडी मात्रा में छात्र साक्षरता के बुनियादी कौशल्य प्राप्त नहीं कर सकते है। जेसे के बुनियादी पठन सामग्री के पठन एवं अर्थग्रहण करने की क्षमता की मात्रा कम है।

2. गुणवत्तायुक्त अधिगम सामग्री की कमी

वर्तमान में शिक्षा के प्रत्येक चरण में शिक्षा के लिए प्रयुक्त अध्ययन सामग्री असमान गुणवत्तावाली होती है। अच्छी गुणवत्तायुक्त सामग्री और संबंधित सामग्री (शब्द, संदर्भ, चित्र और लेआउट) का चयन आवश्यक है। जो छात्रों को अधिगम के लिए वय कक्षा अनुसार और रसप्रद होनी चाहिए। भाषा अधिगम के लिए केवल पाठ्यपुस्तकों पर निर्भर रहना एक मर्यादा है।NCFSE 2023 में के अनुसार भारतीय भाषा में वयकक्षा अनुसार बालसाहित्य की अनुपलब्धता समग्र देश में भाषा अधिगम की प्रक्रिया में बडी बाधा पैदा करती है।

3. शिक्षकों की पूर्वतैयारी का अपूर्ण स्तर

कभी कभी ऐसी संभावना संभावना व्यक्त की जाती है कि किसी विषय का अपूर्ण प्रशिक्षण और तैयारी के बिना अपूर्ण समय के बिना छात्रों को भाषा का अधिगम करवाया जा सकता है। एसी संभावनाएँ भाषा अधिगम की उपलब्धि को निम्नस्तर पर ले जाती है। और भाषा शिक्षा की कक्षाएँ थकान लगने लगती है। इस केन्सर प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए विभिन्न समाधान खोजने पर भी भारत में कुशल भाषा शिक्षक की कमी अवश्य महसूस होती है। अतः भाषा शिक्षण विद्यालय स्तर पर अतिआवश्यक पहलूं होना चाहिए इसी उपलक्ष में भाषा शिक्षा छात्रों के लिए अर्थपूर्ण, अर्थग्रहणपूर्ण और आनंदप्रद अनुभव बना रहैइस लिए विषयों में भाषा संबंधि प्रशिक्षण प्राप्त, भाषा के प्रति स्वभाव एवं भाषा संबंधित अभ्यास हस्तगत शिक्षकों की आवश्यक्ता है। एसे भाषा शिक्षक ही भाषा संबंधि समस्याओं का समाधान कर सकता है।

4. अध्यापन की अप्रभावी व्यूहरचना

ज्यादातर प्रयुक्त शिक्षा पद्धति भाषा में कैसे कार्य करती है और छात्र विभिन्न आयु-समूहमें कैसे कार्य करते है, भाषा अधिगम कैसे होता है उसकी योग्य समझ पर आधारित नहीं होती है। अध्यापक के द्वारा अभी तक उसकी आनंदप्रदता और प्रभावक्ता के लिए जिस व्यूहरचना का उपयोग किया है उन सभी व्यूहरचना का एक साथ उपयोग करने की आवश्यक्ता है।

5. विषयवस्तु-केन्द्रित अध्यापन

अन्य विषय की तरह भाषा शिक्षा के कक्ष भी यांत्रिक रूप से प्रवृत्ति में अथवा पाठ्यपुस्तक के चरणों में से गुजरने का स्थान प्राप्त कर चुका है। केवल पाठ्यपुस्तक में देय सामग्री/विषयवस्तु को पूर्ण करने पर ध्यान केन्द्रीत करने की

https://www.gapbhasha.org/

जगह प्रभावक भाषा शिक्षा छात्रों में योग्यता और परिणामों की सिद्धि को ध्यान में रखकर भाषा अधिगम की प्रक्रिया में आगे बढना चाहिए न केवल विषयवस्तु को पूर्ण करने का अभिगम रखना चाहिए।

6. स्मृति-आधारित मूल्यांकन

भाषा के प्रविणता में प्रत्यायन और प्रत्येक दिन होनेवाले प्रत्यायन पर विशेष जोर दिया जाता है। भाषा शिक्षा का उपयोग प्रत्येक दिन हो यह भाषा शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। भाषा शिक्षा में साहित्य की कद्र करना भी भाषा शिक्षा के उद्देश्य होता है। उपरोक्त उद्देश्य होने के बावजूद भाषा शिक्षा के अन्तर्गत अधिक्तर मूल्यांकन भाषाओं की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के बदले पाठ्यपुस्तक में समाविष्ट विषयवस्तु से संबंधित स्मृति के मूल्यांकन पर विशेष जोर दिया जाता है। अतः ऐसे भाषा अधिगम की प्रक्रिया में केवल विषयवस्तु पर ही प्राविण्य प्राप्त होता है भाषा कौशल्यों का विकास कम होता है।

निष्कर्ष

इस शोधपत्र से यह स्पष्ट होता है कि NCFSE 2023 के अनुसार भाषा शिक्षा केवल मातृभाषा तक सीमित न रहकर बहुभाषी अधिगम पर आधारित है। मातृभाषा शिक्षा का आधार है, परंतु अन्य भाषाओं का अधिगम व्यक्ति की बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है। विद्यालयी शिक्षा में भाषा का उद्देश्य साक्षरता, वक्तृत्व कौशल, सर्जनात्मकता, और बहुभाषी क्षमता का विकास करना है। चुनौतियों के बावजूद, बहुभाषावाद भारत को अधिक शिक्षित और राष्ट्रीय स्तर पर संगठित समाज बनाने की क्षमता रखता है।

REFERENCES

[1] Agnihotri, R. K. (1991). *Hindi language teaching in India*. New Delhi: National Council of Educational Research and Training (NCERT).
[2] Chomsky, N. (2009). *Language and education*. Paradigm Publishers.
[3] Government of India. (1950). *Constitution of India*. Government of India. https://legislative.gov.in/constitution-of-india
[4] Government of India, Ministry of Education. (2020). *National Education Policy 2020*. Government of India. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf
[5] Kumar, K. (1991). *Political agenda of education: A study of colonialist and nationalist ideas*. New Delhi: Sage Publications.
[6] National Council for Educational Research and Training. (2005). *National curriculum framework 2005*. New Delhi: NCERT.
[7] National Council for Educational Research and Training. (2006). *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005*. नई दिल्ली: एनसीईआरटी.
[8] National Council for Educational Research and Training. (2023). *National curriculum framework for school education (NCFSE 2023)*. New Delhi: NCERT. https://www.scribd.com/document/672172872/NCFSE-2023-August-2023-1
[9] National Council for Teacher Education. (2023). *NPST guiding document, 2023: National professional standards for teachers*. New Delhi: NCTE. https://ncte.gov.in/website/PDF/NPST/NPST-Book.pdf
[10] Nigam, B. P. (2003). *भाषा शिक्षा का सिद्धांत और प्रयोग*. दिल्ली: आर्या बुक डिपो.
[11] Sharma, M. (2018). हिन्दी भाषा शिक्षा की प्रमुख समस्याएँ एवं उनके समाधान. *भाषा शिक्षा जर्नल, 12*(2), 45–53.
[12] Sharma, N. (2018). Challenges and opportunities in Hindi language education in India. *Journal of Indian Languages and Education, 12*(2), 45–56.
[13] Singh, R. (2015). *हिन्दी भाषा शिक्षा की समस्याएँ*. नई दिल्ली: राजकमल प्रकाशन.
[14] Verma, K. (2020). विद्यालयी स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षा की चुनौतियाँ. In P. Tiwari (Ed.), *भारतीय भाषाओं की शिक्षा* (pp. 101–118). वाराणसी: भारती प्रकाशन.
[15] राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। (2023). *विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023*. नई दिल्ली: शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार. https://ncert.nic.in

https://www.gapbhasha.org/